L.N.393-W/M-/Instruction/0/Vol–III

दिनांक -13/01/2025

मंडल कार्यालय आदेश 02/2025

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेड़तारोड
समस्त लोकोपायलट, लोकोपायलट शंटर एवम सहायक लोकोपायलट

विषय :- सा. नि. 3.61 (3) कोहरे के दौरान लोको पायलट द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां

****

सभी मुख्य लोको निरीक्षको को निर्देश दिए जाते है की धुंध कोहरे के मौसम में सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने नामित व अन्य रनिंग स्टाफ को निम्न सावधानियां रखने के लिए काउंसलिंग करे तथा स्वय फुटप्लेट के दौरान भी इसकी जांच करे और अनुपालना रिपोर्ट 19.01.2025 को मंडल कार्यालय में जमा कराये |

1. **लोको पायलट कोहरे के दौरान गाड़ी की गति के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करेगा-**

(i) कोहरा होने पर जब लोको पायलट को लगेगा कि कोहरे के कारण दृश्यता बाधित हो रही है, तो वह गाड़ी को कंट्रोल करने वाली स्थिति में चलायेगा, ताकि यह किसी भी बाधा से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहे। किसी भी स्थिति में, गाड़ी की गति 75 किमी प्रघं से अधिक नहीं होगी।

(ii) गेटमैन (जहाँ तैनात हैं) और सड़क उपयोगकर्ताओं को समपार पर आने वाली गाड़ी के बारे में चेतावनी देने के लिए लोको पायलट लगातार सीटी बजाएगा [एसआर 3.78 (4) तथा एसआर 4.50 (10)।

(iii) एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में गाड़ी की गति 75 किमीप्रघं से अधिक नहीं होगी, जैसा कि ऊपर मद संख्या (1) में बताया गया है।

(iv) ऑटोमेटिक ब्लॉक क्षेत्र में गाड़ी की गति लोको पायलट के निर्णय के विवेकानुसार होगी जैसा कि ऊपर मद संख्या (1) में बताया गया है और गाड़ी की गति निम्नलिखित स्थितियों में भी नहीं बढ़ाई जाएगी:-

(क) सिगनल 'ग्रीन होने पर स्वचालित स्टॉप सिग्नल पार करने के बाद गाड़ी की गति 75 किमीप्रघं से नहीं बढ़ाई जाएगी।

(ख) सिगनल 'डबल येलो होने पर स्वचालित स्टॉप सिग्नल पार करने के बाद गाड़ी की गति 30 किमीप्रघ से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(ग) येलो सिगनल होने पर स्वचालित स्टॉप सिग्नल पार करने के बाद लोको पायलट गाड़ी को प्रतिबंधित गति पर चलाएगा ताकि वह अगले स्टॉप सिग्नल पर गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहे।

2. **यदि लोकोमोटिव में फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध नहीं है या डिवाइस रास्ते में विफल हो जाती है, तो ऊपर बताए अनुसार 75 किमीप्रघं की अधिकतम गति को लोको पायलट के निर्णय से 60 किमीप्रघं या उससे कम की जाएगी।**
3. **संरक्षा को प्रभावित करने वाली कोई भी अनियमितता (पटाखे,चुने पट्टी नहीं) मिलने पर ऑफ़ ड्यूटी के समय PCR को नोट करावे**
4. **सभी लोको पायलट /सहायक लोको पायलट प्रत्येक गाडी में चार्ज की FSD ले जाना और ड्यूटी के दौरान सही Route सेलेक्ट कर काम में लेना सुनिश्चित करें |**
5. **ड्यूटी के दौरान चार्ज की हुई वाकी-टॉकी उपयोग में लेवे |**
6. **G&SR 4.16(1)(ख) के अनुसार रात्रि में,और धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में जब दिन में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो अंतिम वाहन पर लाल टेल लेम्प प्रकाशित रखना चाहिए |**
7. **प्रत्येक सिगनल साइटिंग(वार्निंग) बोर्ड /डबल डिस्टेंट में डिस्टेंट के पास ट्रेक पर सफेद चुने से मार्किंग होनी चाहिए |**
8. **प्रत्येक स्टॉप सिग्नल से पहले नियमानुसार रेट्रोरिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड होना चाहिए |**
9. **चालक दल ड्यूटी के दौरान सिगनल लोकेशन बुक खोलकर रखे |**
10. **सभी मुख्य लोको निरीक्षक फुटप्लेट के दौरान उपरोक्त मदों का ध्यान रखे तथा कोई भी कमी मिलने पर तुरंत पीसीआर को नोट करावे |**

वरी.मंडल यांत्रिक इंजी. (Enhm&P)
उ.प. रेलवे ,जोधपुर 13/1/25

प्रतिलिपि – मंडल रेल प्रबन्धक , जोधपुर सादर सूचनार्थ
अपर मंडल रेल प्रबन्धक (op), जोधपुर सादर सूचनार्थ
स.म.या.इंजी.(शक्ति),जोधपुर, आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ
CLI/CCRC/JU & MTD लॉबी नोटिस बोर्ड पर लगाये